

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 296/2020 (धारा 14 शिवयोरिटाईजेशन)

पी एन बी हाउसिंग फाईनेन्स लि. 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय
यू डी बी टावर, नगर निगम के सामने, टौक रोड, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. जानी केवानी
2. रमेश कुमार केवानी

पता- प्लॉट नम्बर 64/175, सैक्टर-64, वार्ड नं. 13, जयपुर।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and enforcement
of security interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से



आदेश

दिनांक: 05.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.06.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी रमेश कुमार पुत्र श्री मुरजमल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 64/175, स्कीम मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 30.75 वर्गमीटर को बन्धक रख कर 12,20,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर, 2003 के क्रम संख्या 8 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 12,20,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 10,81,169/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रमेश कुमार पुत्र श्री मुरजमल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 64/175, स्कीम मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 30.75 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपयुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
8. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 05.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten signature)
 (अन्तर सिंह नेहरो)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर